

Layout Plan of KINGS RESIDENCY-C

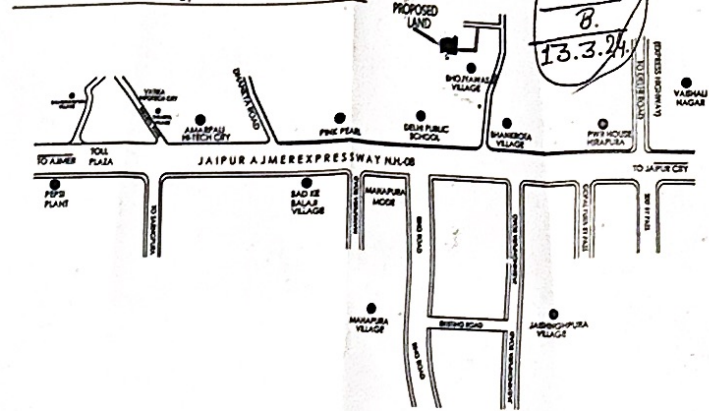
UNDER KHASRA NO.- 374,734/375,736/376

VILLAGE- SHREE RAM GOPALPURA URF BHOJYAWAS, TEH. SANGANER, JAIPUR

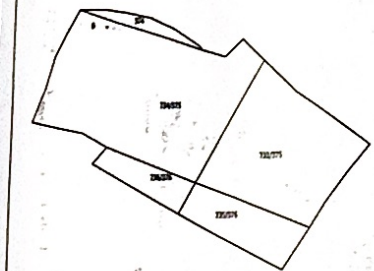
SCALE :- 1CM = 05 MTR



योजना क्षेत्र का पहुँच मार्ग मानचित्र:-



योजना क्षेत्र का खसरा मानचित्र:-



SCALE :- 1CM = 5 MTR



योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार दू उपप्लॉट

प्रस्तावित अवस्थान योजना के अनुसार दू उपप्लॉट की गणना :-
अवस्थानिक भूखण्ड- 00
व्यवसायिक भूखण्ड- 00
सुरंग व्यवसायिक भूखण्ड- 000

योजना क्षेत्र का भू-उपयोग व तकनीकी विवरण :-

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी. में)	प्रतिशत
1.	अवस्थानिक	8422.15	60.11%
2.	सुरंग व्यवसायिक	315.65	02.25%
(A) कुल क्षेत्रफल (1 TO 2)		8737.80	62.36%
3.	शहरी उद्योग	700.60	05.00%
4.	घोस कृषि प्रबंधन	50.00	00.36%
5.	मोबाइल टावर	20.00	00.14%
6.	वन सुविधा क्षेत्र	10.00	00.07%
7.	सड़क	4374.86	31.22%
8.	H.T. LINE SAFETY CORRIDOR	118.74	00.85%
(B) कुल क्षेत्रफल (3 TO 8)		5274.20	37.64%
योजना क्षेत्रफल (A+B)		14012.00	100.00%
LAND LOSE AREA		338.00	
प्रस्तावित क्षेत्र की अवस्थित भूमि का कुल क्षेत्रफल		14350.00	व.मी.

NAME OF SCHEME :-

ZONE = 00 ZDP NO = 00

NAME OF DEVELOPER :-

SUBMITTED TO :- JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

DESIGN BY:- Lakshya Associates

LAND SURVEY, PLANNING, DEMARCATION
TOWNSHIP DEVELOPMENT
ENGINEERING AND ARCHITECT CONSULTANT
E-729, Nakul Path, Opp. Jyoti Nagar Police Station
Lal Kothi Scheme, Jaipur-302016 (Raj) India
Tel: 0141-4001472, 8064618818, 8233075889
Email: lakshya.dimensional@gmail.com

नोट
योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोजिशन के अमीन द्वारा किया गया है।
योजना में स्थित सभी प्लॉट्स के क्षेत्रफल के अमीन द्वारा किया गया है।
योजना में स्थित सभी प्लॉट्स के क्षेत्रफल के अमीन द्वारा किया गया है।

- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- अवस्थित भूमि की 80% की कार्यवाही दिनांक 03.10.2023 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में राबू.स.अधिनियम की धारा 80ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मोके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 22, 43, 44, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 कुल भूखण्ड 10 कुल क्षेत्रफल 1143.38 वर्गमीटर है, जो जमिनी में अनुमोदित योजना के 1250 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जायेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 344 वीं बैठक दिनांक 08.11.2023 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय को अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- इनफोर्मल कॉन्सिडरेशन भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार योजना क्षेत्र के भूखण्डों के विकास कार्य में मवन सन्निधि अनुमोदित किया जावे।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के आवासीय दर्जित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सेटबैक्स जमिनी (जयपुर सैन नवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

उप नगर नियोजक

जोन-12

मुख्य निर्देशक

जोन-12

उपायुक्त

जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक

बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

बी.पी.सी. (एल.पी.)